संख्या- 98 /2026/ 660 /चार-2026-1892717

प्रेषक,

मनोज कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2026**

विषय:- एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त, 2025 को सिक्किम राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय किराया आदि के भुगतान हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4540/सं0नि0-15(49)/2025-26 दिनांक 28.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त, 2025 को सिक्किम राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकार- सुश्री बीना देवी प्रयागराज का ढेंढिया लोकनृत्य कार्यक्रम कराया गया जिनका मानदेय रू0 1,65,000.00 तथा जाने व आने का किराया रू0 16754.00 अर्थात् कुल रू0 1,81,754.00 का वास्तविक व्यय हुआ है। उक्त व्यय की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 15 अगस्त, 2025 को सिक्किम राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सुश्री बीना देवी, प्रयागराज के ढेंढिया लोकनृत्य कार्यक्रम कराये जाने पर हुए व्यय **रू0 1,81,754.00 (रूपये-एक लाख इक्यासी हजार सात सौ चौवन मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तें/प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया आयेगा।

(2) संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भता शासनादेश दिनांक 27.12 2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल / बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान / कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निर्देशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिचित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 1,81,754.00 (रूपये एक लाख इक्यासी हजार सात सौ चौवन मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-24-एक भारत श्रेष्ठ भारत-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनुसचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in